


राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010पार्ट-1

जयपुर, दिनांक :- 23 AUG 2012

मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान,
जयपुर।



176
24/8/12

विषय :- परिधि नियंत्रण पट्टी में पेट्रोल पम्प अनुज्ञेय किये जाने के बाबत नीतिगत निर्णय लिये जाने बाबत।
सन्दर्भ :- आपका पत्र क्र. टीपीआर 1111/एमपी/सामान्य/2011/10552 दिनांक 13.08.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् मास्टर प्लान में अंकित परिधि नियंत्रण पट्टी में पेट्रोल पम्प अनुज्ञेय उपयोग माने जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

समस्त नगरीय क्षेत्रों के मास्टर प्लान में अंकित परिधि नियंत्रण पट्टी में पेट्रोल पम्प इण्डियन रोड कांग्रेस/एम.आ.आर.टी.एच./भवन विनियमों के मानदण्डों की अनुपालना किये जाने की शर्त पर अनुज्ञेय उपयोग माना जावे।

भवदीय,

23/8/2012

(एन. एल. मीना)

शासन उप सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. निदेशक, नगर आयोजना एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति, नगर नियोजन विभाग, जयपुर।
3. समस्त नगर विकास न्यास।

Pl. give copy to all offices
SIP (PROJ.)

शासन उप सचिव-तृतीय